



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर, रायपुर

// आदेश //

क्रमांक.....12
दिनांक.....07/01/13

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के मार्गदर्शी दिशा निर्देश, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाये गये नियम के संबंध में शासन/आयोग द्वारा जाये किये गये महत्वपूर्ण परिपत्र के संबंध में पुनः आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा ।

मुख्यालय एवं मुख्यालय के अधीनस्थ जिला कार्यालय, के लिए सभी अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी एवं समस्त शाखा प्रभारी एवं संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी का निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है । जिसका पालन सुनिश्चित किया जाये ।

बिन्दु क्रमांक-(1) सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन/अपील प्रकरण की पंजी संधारित किया जाये एवं उक्त पंजी का अवलोकन 03 दिन से एक सप्ताह के भीतर जनसूचना अधिकारी स्वयं अवलोकन करें ।

बिन्दु क्रमांक-(2) कार्यालय प्रमुख/शाखा प्रमुख अपनी समीक्षा बैठक में सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के संबंध में एजेण्डा को भी सम्मिलित करते हुए समीक्षा करें ।

बिन्दु क्रमांक-(3) कार्यालय भवन के मुख्य द्वार के पास, सहज रूप से दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर, सूचना फलक (नोटिस बोर्ड में) अपीलीय अधिकारी का नाम, पद, कक्ष क्रमांक, जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम पद और कक्ष क्रमांक, सूचना के अधिकार का कक्ष/संबंधित लिपिक का नाम और कक्ष क्रमांक को सहज प्रदर्शित होने चाहिए । ऐसे ही संबंधित जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी, जनसूचना कक्ष के सामने सूचना फलक प्रदर्शित होना चाहिए ।

बिन्दु क्रमांक-(4) यदि कोई अपीलीय/जनसूचना/सहायक जनसूचना अधिकारी प्रशिक्षण/अवकाश पर जाता है तो जाने से पूर्व उनके पास सूचना का अधिकार के तहत कोई आवेदन/अपील प्रकरण लंबित हो तो उसकी जानकारी लिंक अधिकारी को देंगे और नियत समयावधि में लिंक अधिकारी का यह जिम्मेदारी होगी कि उक्त आवेदन/अपील प्रकरण का निराकरण करें ।

बिन्दु क्रमांक-(5) ऐसे ही जब यदि अपीलीय अधिकारी अवकाश/प्रशिक्षण पर जाते हैं तो उनके द्वारा जिन्हें प्रभार सौंपा जाता है उस प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी यह होगी कि सभी लंबित आवेदनों अथवा प्रकरणों पर उचित कार्यवाही करें ।

बिन्दु क्रमांक-(6) मुख्यालय हेतु अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारी पूर्व से ही नाम निर्दिष्ट है, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि शेष शाखा प्रभारी अधिकारी सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार नहीं है। उदाहरणस्वरूप यदि सूचना अधिकारी किसी भी शाखा से किसी भी आवेदन के आधार पर शाखा प्रभारी से जानकारी मांगते हैं तो उसे निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराना उक्त शाखा प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों को भी डीमेड (Deemed) जनसूचना अधिकारी माना गया है।

बिन्दु क्रमांक-(7) सभी कार्यालय में वर्ष में अपने अधिकारी/कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जायें।

बिन्दु क्रमांक-(8) मुख्यालय की वेबसाईट और अधीनस्थ जिला कार्यालय का (यदि वेबसाईट उपलब्ध हो) तो सूचना के अधिकार से प्राप्त आवेदन पत्र/अपील प्रकरण, उनके निराकरण की जानकारी प्रकाशित किये जावे एवं अद्यतन जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाये।


आयुक्त


छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रमांक 110 / प्रशा./मुख्या./एफ /13

रायपुर दिनांक 07/01/13

प्रतिलिपि:-

- 1 अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
- 2 उपायुक्त-1, उपायुक्त-2,, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
- 3 मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
- 4 लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
- 5 प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
- 6 संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
- 7 शाखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
- 8 कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक-1/2/3/4, रायपुर/राज.परि.संभाग-1/2,रायपुर/परि.संभाग.दुर्ग/दुर्ग/राजनांदगांव/जगदलपुर/कोरबा/बिलासपुर/रायगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर